न्यायालय श्री मेघराज सिंह मीना, R.A.S अतिरिक्त कलक्टर (द्वितीय), जयपुर।

राजस्व अपील संख्या : 06/2025

संतोष उर्फ बबली पत्नी स्व. श्री रामधन पुत्र श्री दुला, जाति–बलाई, निवासी–किलकीपुरा उर्फ बिहारीपुरा, तहसील–चाकसू, जिला–जयपुर।

अपीलान्ट,

बनाम

1. नाथी देवी विधवा दुलीचन्द, जाति–बलाई, निवासी–शिवदासपुरा तहसील–चाकसू, जिला–जयपुर
2. सरकार जरिये तहसीलदार, चाकसू, तहसील--चाकसू, जिला जयपुर ।

रेस्पोडेन्ट्स,

(राजस्व अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 विरूद्ध आज्ञा नायब तहसीलदार, चाकसू दिनांक 16.07.1999 नामान्तरकरण संख्या 11 ग्राम किलकीपुरा उर्फ बिहारीपुरा, तहसील, चाकसू)

उपस्थितः–

1. श्री राजकुमार बैरवा, अभिभाषक, अपीलान्ट् की ओर से।
2. श्री किशनलाल जांगिड, अभिभाषक, रेस्पाडेन्ट सं0 1 की ओर से।

निर्णय दिनांक : 15.05.2026

ग्राम किलकीपुरा की आराजी खसरा संख्या कुल किता 17 रकबा 6.62 है. के के खातेदार–काश्तकार रामधन पुत्र दूला जाति–बलाई साकिन शिवदासपुरा की फौती का विरासत नामान्तरकरण मृतक खातेदार–काश्तकार रामधन की माता मुस्समात नाथी देवी विधवा दूला, जाति–बलाई के नाम नामान्तरकरण संख्या 11 नायब तहसीलदार, चाकसू द्वारा स्वीकार किया गया है जिससे व्यथित होकर मृतक खातेदार–काश्तकार की विधवा संतोष उर्फ़ बबली ने यह अपील पेश की है।

उक्त आशय की अपील प्रस्तुत होने पर नियमानुसार दर्ज रजिस्टर कराई जाकर नोटिस रेस्पोडेन्ट्स जारी किये गये। मिसल मातहत न्यायालय तलब की गई। रेस्पोडेन्ट् संख्या 1 नाथी देवी जरिये अभिभाषक श्री कन्हैयालाल बलाई हाजिर आई। मिसल मातहत न्यायालय प्राप्त होने पर उभय पक्षों की उपस्थिति में पत्रावली बहस हेतु नियत की गई। उभय पक्षों को बहस हेतु समुचित अवसर दिये जाने के पश्चात् प्रकरण में सुनवाई हेतु नियत दिनांक 04.02.2026 को वकील अपीलान्ट द्वारा लिखित बहस पेश की गई जिसकी प्रति वकील रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा प्राप्त की गई और उसके साथ ही वकील रेस्पोडेन्ट् संख्या 1 को आगामी पेशी पर लिखित बहस पेश करने के निर्देश दिये जाकर आगामी तारीख पेशी 09.02.2026 नियत की गई। पेशी दिनांक 19.02.2026 को रेस्पोडेन्ट् संख्या 1 के द्वारा अन्य वकील श्री किशनलाल

जांगिड का वकालतनामा पेश कराया जाकर जवाब प्रार्थना पत्र धारा 96 व जवाब प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम पेश किया गया। वकील अपीलान्ट् की बहस सुनी गई और बकिया बहस रेस्पोडेन्ट् हेतु आगामी तारीख पेशी नियत की गई। आगामी नियत पेशी पर रेस्पोडेन्ट् की ओर से न्यायालय जिला कलक्टर जयपुर में लगाई गई स्थानान्तरण ऐप्लीकेशन पर टिप्पणी हेतु पत्र प्राप्त होने पर बहस की कार्यवाही स्थगित की जाकर बिन्दुवार टिप्पणी भिजवाये जाने का निर्णय पारित किया गया। रेस्पोडेन्ट् संख्या 1 द्वारा लगाई गई स्थानान्तरण ऐप्लीकेशन जिला कलक्टर महोदय, जयपुर के निर्णय दिनांक 28.04.2026 द्वारा खारिज किये जाने पर जरिये पत्रांक कोर्ट/2026/1556 दिनांक 07.05.2026 निर्णय दिनांक 28.04.2026 की प्रति प्राप्त होने पर पत्रावली में पूर्व में नियत कार्यवाही वास्ते नियत की गई। वकील रेस्पोडेन्ट् संख्या 1 श्री किशनलाल जांगिड द्वारा लिखित बहस पेश की गई जो शामिल मिसल है।

अपीलान्ट् के विद्वान अभिभाषक श्री राजकुमार बैरवा ने अपनी लिखित बहस में कथन किया है कि अपीलान्ट के पति की पैतृक कृषि आराजीयात खसरा नं0 100 रकबा 0.44 है०, खसरा नं0 101 रकबा 1.65 है०, खसरा नं0 55 रकबा 0.78 है०, खसरा नं0 56 रकबा 0.57 है०, खसरा नं0 57 रकबा 0.23 है0, खसरा नं0 58 रकबा 0.23 है०, खसरा नं0 59 रकबा 0.33 है०, खसरा नं0 60 रकबा 0.32 है०, खसरा नं0 61 रकबा 0.23 है०, खसरा नं0 62 रकबा 0.03 है०, खसरा नं0 63 रकबा 0.05 है०, खसरा नं0 64 रकबा 0.27 है०, खसरा नं0 65 रकबा 0.03 है०, खसरा न० 66 रकब 0.22 है० खसरा नं0 68 रकबा 0.23 है०. खसरा नं0 98 रकबा 0.18 है०. खसरा नं0 99 रकबा 0.83 है० कुल किता 17 कुल रकबा 6.62 हैक्टेयर वाके ग्राम किलकीपुरा उर्फ बिहारीपुरा पटवार हल्का शिवदासपुरा भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र शिवदासपुरा तहसील चाकसू जिला जयपुर (राज०) मे स्थित आराजीयात अपीलान्ट के पति स्व० रामधन पुत्र दुला के नाम से दर्ज चली आ रही थी। अपीलान्ट के पति रामधन का स्वर्गवास वर्ष 1995 में हो गया है। अपीलान्ट के पति की मृत्यु के पश्चात उक्त आराजीयात मे अपीलान्ट का 1/2 हिस्सा निहित है तथा 1/2 हिस्से की खातेदार–काश्तकार है। वादग्रस्त आराजीयात अपीलान्ट के पति के नाम से खातेदारी दर्ज चली आ रही थी जिसमे रेस्पोडेन्ट सं0 1 ने साजपूर्वक अपीलान्ट को अपीलान्ट के हक हिस्से की भूमि को अकेले अपने नाम जरिये नामांतरकरण सं० 11 दिनांक 16–07–1999 मे अपने नाम गलत सजरा उल्लेखित करते हुए तस्दीक करवा लिया। जबकि अपीलान्ट के पति की मृत्यु दिनाक 06–12–1995 को हो गई थी जिसकी अपीलान्ट विधिक वारिस है तथा अपीलान्ट के 1/2 हिस्से का नामांतरकरण कानूनन तस्दीक होना चाहिए था। इस प्रकार रेस्पोडेन्ट द्वारा अपीलान्ट

के हक अधिकार की भूमि को अकेले अपने नाम उक्त नामांतरकरण के जरिये तस्दीक कराया है जो एबनिशियो वोइड आदेश हैं। उक्त तथ्य की जानकारी अपीलान्ट को दिनांक 10–02–2025 को तब हुई जब अपीलान्ट की भूमि पर रेस्पोडेन्ट व अन्य 10–15 अजनबी व्यक्तियो ने मौके पर आकर वादग्रस्त आराज़ीयात की नाप जोख करने लग गये। इस पर अपीलान्ट ने उक्त लोगो से तथा अपनी सास से पूछा कि उक्त आराजीयात पर उक्त व्यक्तियो को क्यो बुलाया गया है। रेस्पोडेन्ट ने कहा कि उक्त आराजीयात को मैने विक्रय करने का इकरारनामा इन अज़नबी व्यक्तियों के साथ कर दिया है तथा मौके पर कब्जा संभलाने के लिये इनको लाई हूँ। अपीलान्ट ने रेस्पोडेन्ट सं0 1 को कहा कि मैं मेरे अपने हिस्से की भूमि को विक्रय करना नहीं चाहती हूँ तो रेस्पोडेन्ट सं० 1 ने कहा कि आपके नाम कोई भूमि ही नहीं है आप क्या विक्रय करोगे ना ही आपको पूछने की जरूरत है आपका उक्त भूमि से कोई लेना देना नही है। अपीलान्ट ने जमाबंदी की नकल निकलवाने पर ज्ञात हुआ कि वादग्रस्त आराजीयात एकमात्र रेस्पोडेन्ट सं0 1 के नाम ही दर्ज है तो अपीलान्ट हक्की बक्की रह गई तथा उक्त नामान्तरकरण के विरूद्ध अपील पेश की हैं जो माननीय न्यायालय के समक्ष विचाराधीन है। अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय व आदेश प्रारम्भ से शून्य व अवैध आदेश/नामान्तरकरण तस्दीक किया है जो काबिले खारिज किये जाने योग्य है। अपीलाधीन आराजीयात मे अपीलान्ट 1/2 हिस्से की खातेदार काश्तकार है तथा अपने 1/2 हिस्से की भूमि पर उपयोग–उपभोग करती आ रही है। साजपूर्वक रेस्पोडेन्ट सं0 1 ने अपीलान्ट के पति स्व० रामधन के विरासत का नामांतरकरण अपने नाम तस्दीक करवा लिया जो अवैध एवं शून्य आदेश है। इस कारण काबिले निरस्त किये जाने योग्य है। हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के अन्तर्गत मृतक की विधवा को उसकी संपत्ति का विधिक वारिस माना गया है तथा प्रश्नगत नामांतरकरण मे अपीलान्ट के पति रामधन को नाआलौद फौत बताया है जबकि अपीलार्थीया का कोई हवाला नही दिया गया है। अपीलार्थीया के 2 पुत्रो का जन्म हुआ था किन्तु दोनो पुत्र अपने पति के जीवनकाल मे ही जन्म होने के पश्चात मृत्यु हो गई थी। इस प्रकार अपीलाधीन आदेश मिथ्या एव असत्य तथ्यो के आधार पर पारित आदेश है जो काबिले निरस्त योग्य है। अपीलान्ट उक्त अपीलाधीन नामान्तरकरण तस्दीक करने से पूर्व अपीलान्ट को किसी प्रकार को कोई साक्ष्य सुनवाई का अवसर नही दिया गया तथा अपीलान्ट की अनुपस्थित में उक्त नामान्तरकरण तस्दीक किया गया है अपीलाधीन नामान्तरकरण से अपीलान्ट हितबद्व व प्रभावित पक्षकार होने से उक्त अपील अपीलान्ट द्वारा अपील प्रस्तुती प्रार्थना पत्र के साथ पेश की है तथा अपील के साथ प्रार्थना पत्र धारा 96 सीपीसी का पेश किया है। अपीलाधीन नामान्तरकरण की जानकारी अपीलान्ट को

न्यायालय अति. कलक्टर (प्रथम) जयपुर

पूर्व में नही हुई रेस्पोडेन्ट सख्या 1 द्वारा उक्त अपीलाधीन भूमि को दीगर व्यक्तियो को बैचान करने व अपीलान्ट को बेदखल करने की धमकी दिनांक 10–02–2025 को देने से हुई जिस पर अपीलाधीन नामान्तरकरण व राजस्व रिकोर्ड की नकले प्राप्त कर यह अपील जानकारी से अन्दर मियाद पेश की है तथा अपील के साथ धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र भी पेश किया गया है उक्त अपीलाधीन नामान्तरकरण तस्दीक करने से पूर्व अपीलान्ट को कोई सूचना व सुनवाई का अवसर नही दिया गया तथा अपीलान्ट अपने पति रामधन के हिस्से पर उसकी मृत्यु उपरान्त काबिज काश्त चली आ रही है। इसलिये अपीलाधीन नामान्तरकरण एक पक्षीय व बिना सुने अपीलान्ट को रेस्पोडेन्ट सख्या 1 के पक्ष में तस्दीक किया है तथा अपीलाधीन आराजी में अपीलान्ट के हित निहित है तथा अपील में अपीलान्ट के हित व गुणावगुण मौजुद है इसलिये अपील पेश करने में हुई देरी का क्षमा किया जाकर अपील को गुणावगुण पर निस्तारित किया जाना न्यायहित में हैं तथा एक पक्षीय आदेशो में अपील पेश करने की अवधी जानकारी से अन्दर मियाद जाने का कानूनी प्रावधान हैं। अपीलान्ट मृतक रामधन की पत्नी है तथा रामधन रेस्पोडेन्ट संख्या 1 का पुत्र है अपीलान्ट रामधन की विधवा है तथा अपीलाधीन आराजी में अपीलान्ट के हक अधिकार निहित है। इसलिये भी अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अपीलाधीन नामान्तरकरण निरस्त किया जाना न्यायहित में है। अपीलान्ट अपीलाधीन आराजी में निहित हिस्से पर काबिज होकर काश्त करते आ रहे है। अपीलान्ट के हिस्सें के बाबत अन्य रेस्पोडेन्टस का कोई हक अधिकार नही है बिना कब्जे के तथ्यो का अवलोकन किये ही उक्त अपीलाधीन नामान्तरकरण तस्दीक किया गया है जो नैसर्गिग न्याय के सिद्वान्तो के विपरीत होने से निरस्तनीय है। विद्वान अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन विरासत नामान्तरकरण प्रथम दृष्टया ही विधि, विधान, संचिका पर उपलब्ध तथ्यों, साक्ष्य–सबूतों के सर्वथा प्रतिकूल होनें की वजह से एवं अपीलाधीन नामान्तरकरण तस्दीक करते हुये अधिनस्थ न्यायालय ने substantial question of law के बिन्दू के विपरीत जाकर तथ्यात्मक एंव कानूनी त्रुटि किये जाने के कारण एक मृतक के सभी वास्तवक विधिक वारिसान के तथ्यो को नजरअदाज करते हुये अपीलाधीन विरासत नामान्तरकरण तस्दीक करने में अहम कानूनी भूल किये जाने के कारण अपीलाधीन निर्णय प्रारम्भ से ही ab–intio void होने की वजह से अपास्त किये जानें योग्य है। विधि का यह सिद्धान्त अवश्य है कि नामान्तरकरण जैसी फिसकल कार्यवाही से किसी भी व्यक्ति के हक अधिकार तय नही हो सकते किन्तु अधिनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन निर्णय पूर्णतया प्रथम दृष्टया ही प्राकृतिक वारिसो के विपरीत एवं पूर्णत विधिक साक्ष्यो के विरूद्ध तथ्य छिपाते हुये अवैध अपीलाधीन नामान्तरकरण तस्दीक किये जाने के कारण ऐसा

औचित्य विहिन आदेश किसी भी अवस्था में यथावत नही रखा जा सकता एवं ऐसा अपीलाधीन आदेश न्याय की मंशा के विपरीत एवं विधिक वारिसान को नजरअदाज कर अवैध कार्यवाही के माध्यम से तस्दीक किये जाने के कारण अपीलाधीन नामान्तरकरण प्रथम दृष्टया ही शुन्य होने के कारण काबिले खारिज योग्य है जैसे 2020 आरआरटी (2) पेज –846 में अभिनिर्धारित किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन नामान्तरकरण तस्दीक करते समय भू–राजस्व अधिनियम व राजस्थान भू–राजस्व (भू–अभिलेख) नियमों में वर्णित उप नियमों व प्रावधानो की कोई पालना नही की, तथा नामान्तरकरण संबंधित सभी प्रावधानो की अनदेखी कर अपीलाधीन नामान्तरकरण पारित किया है जो कि निरस्तनीय है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर नामान्तरकरण संख्या 11 दिनांक 16–07–1999 को खारिज फरमाया जाकर अपीलाधीन आराजी में अपीलान्ट के नाम 1/2 हिस्से का नामान्तरकरण तस्दीक किये जाने की आज्ञा सादिर फरमाई जावे।

रेस्पोडेन्ट् संख्या 1 के विद्वान अभिभाषक श्री किशनलाल जांगिड ने अपनी लिखित बहस में कथन किया है कि अपील में वर्णित खसरा नम्बरान की खातेदारी रामधन पुत्र दूला के नाम दर्ज रही। जो रेस्पोडेंट का पुत्र था। रामधन का स्वर्गवास वर्ष 1995 में हो गया; तथा रेस्पोडेंट के पुत्र रामधन की पत्नी अपीलांट संतोष उर्फ बबली ने वर्ष 1998 में अपने पति का घर छोडकर बाबूलाल बबेरवाल निवासी मजदूरनगर, जयपुर के साथ शादी कर ली। तब से अपीलांट अपने बच्चे व पति के साथ मजदूर नगर जयपुर में निवास कर रही है। अपीलांट के द्वारा दिनांक 18.09.1998 को अपने स्व० पति रामधन के नाम छोडी गयी आराजीयात के सबंध में एक शपथ पत्र बाबत हिस्सा छोडने व सम्पूर्ण आराजीयात रेस्पोडेंट सं० 1 के नाम करने के सबंध में पेश किया। जिस कारण सबंधित राजस्व अधिकारी ने अपीलार्थी के द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र रिकार्ड पर लेकर अपीलार्थी की स्वतंत्र सहमति से आराजीयात का नामान्तरकरण संख्या 11 दिनांक 16.07.1999 को रेस्पो० सं० 1 के नाम खोला गया। जिसकी जानकारी अपीलांट को प्रारम्भ से ही रही है एवं वह कार्यवाही मजमेंआम में की गयी है। जिससे उक्त नामान्तरकरण की जानकारी अपीलांट को नामान्तरकरण की तिथी से ही थी। जिसे चुनौती देने के लिए अपीलांट की मियाद एक माह नियत थी। अपीलांट ने उक्त अपील मियाद बाहर पेश की है। मियाद के सबंध में रेस्पो० सं० 1 द्वारा धारा 5 मियाद अधिनियम का जवाब पृथक से पेश किया गया है, जिसमें तमाम वास्तविक तथ्यों का अकंन किया गया है। यहां यह स्पष्ट किया जाना आवश्यक है कि अपील में वर्णित आराजीयात को भू माफियाओं द्वारा खातेदार रामधन का फर्जी इकरारनामा तैयार कर उक्त इकरारनामा के आधार पर उक्त आराजीयात की 90 बी की कार्यवाही की गयी। जिसके सबंध में जे०डी०ए०

जयपुर द्वारा दिनांक 16.12.2001 को स्थानीय समाचार पत्र में विज्ञापन प्रकाशित करायी गयी। जिसकी जानकारी भी अपीलांट को प्रारम्भ से ही रही है। उक्त आराजीयात के सबंध में जे०डी०ए० द्वारा अधिग्रहण किया गया तथा उक्त आराजीयात में खातेदार जयपुर विकास प्राधिकरण दर्ज किया गया। इस सबंध में भी अपीलांट को पूर्ण जानकारी रही है। उपरोक्त सभी कार्यवाही भू माफियाओं द्वारा जे०डी०ए० से मिलीभगत करके की गयी। जिसके सबंध में रेस्पो० सं० 1 द्वारा एक अपील संख्या 233/2013 न्यायालय सम्भागीय आयुक्त, जयपुर सम्भाग, जयपुर में बउनवानी श्रीमती नाथी देवी बनाम प्राधिकृत अधिकारी जे०डी०ए० व अन्य पेश की गयी। जिसका निर्णय दिनांक 02.04.2014 को सम्भागीय आयुक्त महोदय द्वारा पूर्व में की गयी सभी कार्यवाहियों को गलत मानते हुए जे०डी०ए० की सभी कार्यवाही 90 बी व जे०डी०ए० द्वारा जारी पट्टों को निरस्त किया गया। जिसके फलस्वरूप उक्त आराजीयात की खातेदारी का नामान्तरकरण पुनः रेस्पो० सं. 1 के नाम किया गया। जो भी आज बंदस्तूर जारी है। उक्त सभी कार्यवाहियों का भी अपीलांट को जानकारी रही है। फिर भी गलत तथ्यों के आधार पर अपीलांट ने बिना किसी हक अधिकार के उक्त मिथ्या अपील पेश की है। जो खारिज किए जाने योग्य है। अपीलांट वर्ष 1998 से ही मज़दूर नगर जयपुर में अपने पति व बच्चों के साथ रही रही है। अपीलांट कभी भी उक्त आराजीयात पर नहीं गयी एवं ना ही अपीलांट का कोई कब्जा है। यहां यह स्पष्ट किया जाना आवश्यक है कि माननीय सम्भागीय आयुक्त जयपुर द्वारा किये गये निर्णय दिनांकित 02.04.2014 के विरूद्ध जे०डी०ए० व पहाडगंज गृह निर्माण सहकारी समिति के द्वारा माननीय उच्च न्यायालय में सिविल रिट प्रस्तुत की गयी। जिसमें माननीय उच्च न्यायालय द्वारा स्थगन आदेश पारित किया गया है। जिसका अकंन भी वर्तमान जमाबंदी में अंकित है। ऐसी स्थिति में किसी प्रकार से राजस्व रिकार्ड में फेरबदल किया जाना कानूनन रूप से गलत है। अपीलांट ने अपने समस्त अधिकारों को परित्याग करते हुए नामान्तरकरण रेस्पो० सं० 1 के हक में खोले जाने की सहमति देकर व इस सबंध में शपथ पत्र प्रस्तुत कर अपीलांट की उपस्थिति व उसकी स्वतंत्र सहमति से खोला गया है। जिसे अब किसी भी प्रकार से चुनौती देने का अधिकार अपीलांट को नहीं है। अपीलांट मृतक रामधन पुत्र दूला की वारिस की श्रेणी में नहीं आती है। अपीलांट अपने पति व बच्चों के साथ मजदूर नगर जयपुर में निवास कर रही है। उक्त आराजीयात से अपीलांट का कोई संबंध या सरोकार नहीं है। अपीलांट ने उक्त अपील वास्तविक तथ्यों को छिपाते हुए मिथ्या तथ्यों के आधार पर श्रीमान न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की है। जो खारिज किए जाने योग्य है। अपील में रेस्पो० सं० 1 के द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र बाबत असल दस्तावेजात तलब किए जाने पेश किया था तथा अपीलांट द्वारा प्रकरण

में धारा 5 मियाद अधिनियम व 96 का प्रार्थना पत्र पेश किया गया है, जिसे अभी तक माननीय न्यायालय द्वारा अभी तक निस्तारित नहीं किया गया है। माननीय न्यायालय धारा 5 मियाद अधिनियम व 96 का प्रार्थना पत्र के निस्तारण से अपील के निर्णय से पूर्व किया जाना न्यायहित में आवश्यक है। अतः अपील अपीलांट निरस्त फरमाई जावे।

हमने उभय–पक्षों के लिखित अभिवचनों पर गौर किया व पत्रावली का अवलोकन किया। प्रकरण के विधिक तथ्यों को ध्यान में रखते हुऐ हमारा मत है कि प्रथमतः धारा 96 व्यवहार प्रक्रिया संहिता के प्रार्थना पत्र एंव धारा 5 मियाद अधिनियम के प्रार्थना पत्र का विनिश्चय किया जावें। पत्रावली में उपलब्ध नकल निर्वाचक नामावली वर्ष 1995 विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र सांगानेर मतदान केन्द्र बरखेडा के क्रम संख्या 401 पर संतोष/रामधन स्त्री 22 वर्ष अंकित है, जो यह सिद्ध करने के लिऐ पर्याप्त आधार है कि संतोष, रामधन की पत्नी है। रेस्पोडेन्ट् संख्या 1 ने भी अपने लिखित कथन में संतोष को रामधन की पत्नी होना स्वीकार किया है। यह कथन कहीं अंकित नही किया है कि संतोष, रामधन की पत्नी नही हैं। अतः यह निर्विवाद बिन्दू है कि संतोष और रामधन के मध्य वैवाहिक संबंध रहा है और बतौर पत्नी संतोष ने रामधन के साथ जीवन यापन किया है। जब यह निर्विवाद तथ्य है कि संतोष, रामधन की पत्नी रही है तो रामधन की सम्पति का निस्तारण किये जाने से पूर्व रामधन की पत्नी को सूचना दिया जाना आवश्यक था, किसी प्रकार की विधिक सूचना सम्पति के निस्तारण के संबंध में अपीलान्ट संतोष को दी गई हो ऐसे कोई दस्तावेजी तथ्य पत्रावली पर मौजूद नही है। ऐसी स्थिति में जब विवादग्रस्त संम्पति में अपीलान्ट का हित–निहित हो और अधिनस्थ न्यायालय द्वारा इस तथ्य की अनदेखी की गई हो तो अपीलेट न्यायालय द्वारा धारा 96 व्यवहार प्रक्रिया संहिता को स्वीकार किया जाना न्याय–संगत हो जाता है। अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 96 व्यवहार प्रक्रिया संहिता स्वीकार किया जाता है।

उक्त विवेचन के अनुसार प्रथम–दृष्टया यह तथ्य दृष्टिगोचर होता है कि वादग्रस्त आराजी में अपीलान्ट का हित–निहित है और चुनौतिधीन आज्ञा पारित किये जाने से पूर्व अपीलान्ट को किसी प्रकार की विधिक सूचना नही दी गई है और अपीलान्ट के पति की सम्पति का विरासत का नामान्तरकरण एकतरफा निर्णय लिया जाकर स्वीकार किया गया है। वादग्रस्त आराजी में विधिक परिस्थितियों अनुसार अपीलान्ट का हक–हकूक है अथवा नही प्रकरण के गुणवागुण के आधार पर विधिक प्रावधानों को मध्य–नजर रखते हुऐ निस्तारण किये जाने पर ही तय होगा परन्तु परिस्थितिजन्य अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट को वादग्रस्त आराजी के संबंध में निर्णय किये जाने से पूर्व सुनवाई का नोटिस/अवसर दिया जाना अनिवार्य था,

जोकि पत्रावली के तथ्यों से परिलक्षित है कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट को कोई सुनवाई/साक्ष्य का नोटिस नही दिया गया है। इस प्रकार विचारण प्रकरण में विनिश्चय किये जाने हेतु तात्विक तथ्य है जिसके लिये विलम्ब को क्षम्य किया जाना न्याय–संगत पाते है। अतः चुनौतिधीन आज्ञा को चुनौती दिये जाने में हुऐ विलम्ब को क्षम्य किया जाता है और अपील अन्दर मियाद शुमार की जाती है।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 96 व्यवहार प्रक्रिया संहिता व प्रार्थना पत्र धारा 5 के विनिश्चयन से यह स्पष्ट है कि अपीलान्ट, खातेदार रामधन की पत्नी रही है और वादग्रस्त आराजी अपीलान्ट संतोष के पति रामधन की खातेदारी–काश्तकारी की भूमि है। यह भी विनिश्चय हो गया है कि खातेदार रामधन की विरासत का नामान्तरकरण स्वीकार किये जाने से पूर्व रामधन की पत्नी अपीलान्ट संतोष को सुनवाई साक्ष्य का नोटिस अवसर नही दिया गया है जबकि प्रथम–दृष्टया खातेदार रामधन की पत्नी अपीलान्ट संतोष हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 की धारा 8 (क) के अनुसार मृतक की सम्पति में प्रथम–दृष्टया उत्तराधिकार रखती है। विधिक समालोचना किये जाने के पश्चात यदि कोई अन्य परिस्थिति उत्पन्न होती है तो वह गुणावगुण के आधार पर निस्तारित किया गया प्रकरण होता परन्तु अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली से स्पष्ट जाहिर है कि विरासत का नामान्तरकरण स्वीकार किये जाने से पूर्व न तो सम्पति में हित–निहित रखनें वाले पक्षकार को नोटिस/अवसर दिया गया है और न ही विरासत के समस्त तथ्यों की अधिनस्थ न्यायालय द्वारा जांच की गई है। विचारण प्रकरण में हितबद्ध पक्षकारो को सुनवाई/साक्ष्य का नोटिस/अवसर दिया जाकर विधिक पहलुओं पर विचार कर न्याय–संगत निर्णय पारित किया जाना आवश्यक था जिसका चुनौतीधीन निर्णय में पूर्णतया अभाव है।

अतः उक्त विवेचनानुसार अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाती है। अधिनस्थ न्यायालय की आज्ञा दिनांक 16.07.1999 नामान्तरकरण संख्या 11 ग्राम किलकीपुरा उर्फ बिहारीपुरा निरस्त की जाती है और अधीनस्थ न्यायालय को खातेदार रामधन की पत्नी अपीलान्ट संतोष के हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 की धारा 8 (क) के अनुसार मृतक की सम्पति में प्रथम–दृष्टया उत्तराधिकार होने से वादग्रस्त सम्पत्ति में अपीलान्ट का 1/2 हिस्सा की अधिकारी है अतः वादग्रस्त सम्पति के 1/2 हिस्से का नामान्तरकरण अपीलान्ट सन्तोष के नाम स्वीकार करने के आदेश दिये जाते है।

निर्णय आज दिनांक 15.05.2026 को सरे इजलास सुनाया गया।

(मेघराज सिंह मीणा)
अति. कलक्टर (द्वितीय)
जयपुर